bes can be done only through an Act of Parliament in view of Articles 341 (2) and 342(2) of the Constitution.

**जाफराबाद, दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फलैटों का आबंटन**

3277. **श्री राम नरेश कुशवाहा** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली के यमुनापार क्षेत्र में जाफराबाद नामक स्थान पर दो केट ए और बी में लगभग 250 मकान बनाये हैं और इन दोनों पाकेटों में एक जैसे फलैट नबंर दिए गए हैं और आबंटियों के आबंटन पत्रों में पाकेट ए और बी का कोई उल्लेख नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में आबंटियों को तथा संबंधित इंजीनियरों को इस क्षेत्र में आबंटियों को उनका फलैट दिखाने में काफी असुविधा होती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार तथा डी०डी०ए० को जनता तथा इंजीनियरों से इस सबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है अथवा क्या सरकार ने उन्हें पुनः संशोधित आबंटन पत्र भेजने की कोई व्यवस्था की है ?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) जी, हां। कतिपय मामलों में जारी किए गए संगणकीकृत मांग-I एवं-आबंटन पत्रों में पाकिट, जिसमें आबंटित फलैट आते हैं, का उल्लेख नहीं है तथा इस कारण आवंटियों को कुछ असुविधा हुई है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण प्रभावित व्यक्तियों को पृथक-पृथक् रूप से सूचित कर रहा है।

**CPWD Workers Union**

3278. SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 439 given in the Rajya Sabha on the 7th November, 1986 and state:

(a) whether the term "workers in the C.P.W.D." include (i) Muster roll staff; (ii) Clerical staff; (iii) Peons and Daftaries; (iv) Junior Engineers; and (v) any other category of C.P.W.D. staff;

(b) whether it is also a fact that only one Union has so far been given such general recognition for "Workers in C.P.W.D."; and

(c) if so, the name of the Union and the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) The term "workers" includes staff in regular classified/work-charged establishment and Muster roll workers only;

(b) Yes.

(c) The CPWD Mazdoor Union was granted provisional recognition subject to the results of the verification of membership of various Unions of the CPWD being undertaken by the Ministry of Labour.

**Construction of a New Building in Karolbagh**

3279. SHRI DHARAM CHANDER PRASHANT: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the old building on plot No. 16/11, W.E.A., Karolbagh, New Delhi has been recently demolished and work has begun on constructing a new building on that plot;

(b) whether the plan for the new construction, as sanctioned or sumbitted to the concerned authority, is for a commercial one; and

(c) if so, the reasons for permitting a commercial unit, on a plot marked for residential purpose?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) It has been reported by the Municipal Corporation of Delhi that the old building on this plot has been demolished but the construction of a new building has not yet started.

(b) and (c) As per Zonal Plan, in Plot No. 16/11, Western Extension Area, Karol Bagh, the ground floor is permitted for commercial use and the upper floors are for residential use. The building plans submitted by the party envisaged construction of a residential building consisting of basement for domestic storage and ground, first and barsati floors for residential use. The plans have not yet been sanctioned.

**अफीम सेवन–त्याग के लिए शिविर**

3280. **श्री शरद यादव :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अफीम सेवन त्याग के लिए शिविर आयोजित किये जा रहे हैं और यदि हां, तो कहां कहां ;

(ख) क्या इन शिविरों का आयोजन शासकीय तौर पर किया जाता है अथवा निजी संस्थाओं द्वारा ;

(ग) क्या निजी संस्थाओं द्वारा आयोजित ऐसे शिविरों को शासकीय मदद दी जाती है, यदि हां, तो किस आधार पर और कितनी ; और

(घ) इस हेतु भविष्य में शुरू की जाने वाली सरकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

**कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरधर गोमांगो)** : (क) से (घ) कल्याण मंत्रालय अभी तक, स्वैच्छिक संगठनों के अफीम निर्व्यसन शिविर समेत मादक द्रव्य की लत छुड़ाने वाले 22 शिविरों का वित्त-पोषण किया है । अभी तक ये शिविर राजस्थान कर्णाटक तथा दिल्ली में लगाए गए हैं । शिविरों तथा दी गई सहायता संबंधी विवरण संग्लन हैं । शिविर लगाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों के प्रस्तावों की जाँच उसके फील्ड अनुभव तथा लत छुड़ाने और संगठन क्षमता के आधार पर की जाती है । यह सहायता जारी रखने की विचारहै।